

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / अभि.वि. / न.पा.नि. / 2021

रायगढ़, दिनांक 18 / 02 / 2021

// निविदा सूचना //

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए अभिलेख विभाग हेतु मुद्रण, एवं स्टेशनरी, सामग्री, फोटोकापी भोजन/नाश्ता/चाय/पानी बॉटल प्रदाय विडियोग्राफी फलेक्स बैनर प्रिंटिंग कार्य वार्षिक 2021-22 हेतु निविदा सूचना आमंत्रण पंजीकृत मुद्रणकर्ताओं/फर्म/विक्रेताओं/प्रदायकर्ताओं से निविदा प्रपत्र "स" में नगर पालिक निगम रायगढ़ की वेबसाइट nagarnigamraigarh.com से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र 'शुल्क डी.डी. के माध्यम से दिनांक 15-03-21 अपराह्न 04.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदाएं त्रि-लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की जाती है प्राप्त निविदाएं दिनांक 15-03-2021 अपराह्न को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि (लाख में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपये में)
01	मुद्रण कार्य	14.90	44700 / -रु.	750 / -रु.
02	स्टेशनरी सामग्री	10.00	30000 / -रु.	750 / -रु.
03	फोटो कापी	3.00	9000 / -रु.	750 / -रु.
04	भोजन/नाश्ता/चाय/पानी बॉटल प्रदाय	4.90	14700 / -रु.	750 / -रु.
05	विडियोग्राफी	1.00	3000 / -रु.	750 / -रु.
06	फलेक्स बैनर प्रिंटिंग	7.00	21000 / -रु.	750 / -रु.

नोट- उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त

नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 2368 / अभि.वि. / न.पा.नि. / 2021
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक 18 / 02 / 2021

1. महापौर महोदय / सभापति महोदय, नगर पालिक निगम रायगढ़ छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
2. संपादक ~~हरि शर्मा/उप-संपादक~~ की ओर विज्ञापन प्रकाशन में या इससे न्यूनतम स्पेस में एक दिवस प्रकाशन कर तीन प्रति के साथ देयक प्रस्तुत करे।
3. सहायक प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ छ.ग. को सूचनार्थ।
4. कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

आयुक्त

नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Phone No. : - 07762-222911, Fax No. : - 07762-222923

Email : - nraigarh@ymail.com, website - www.nagarnigamraigarh.com

॥ वर्ष 2021-22 हेतु निविदा अनुसार मुद्रण कार्य की सूची ॥

क्र.	सामग्री का नाम	साईजप्रति पृष्ठ/रजिस्टर/बु कलेट	मात्रा/पृष्ठ प्रतिनग /बुक	प्रस्तुत दर प्रति नग/ प्रति सेट
1	कैश रजिस्टर बड़ा साईज 400 पेज	फुल डी.एफ.सी. साईज	300 पृष्ठ	
2	कैश रजिस्टर बड़ा साईज 300 पेज	फुल डी.एफ.सी. साईज	400 पृष्ठ	
3	आवश्यकतानुसार प्रिंटेड रजिस्टर बाईडिंग सहित	फुल डी.एफ.सी. साईज	100 पृष्ठ	
4	आवश्यकतानुसार प्रिंटेड रजिस्टर बाईडिंग सहित	फुल डी.एफ.सी. साईज	200 पृष्ठ	
5	आवश्यकतानुसार प्रिंटेड रजिस्टर बाईडिंग सहित	फुल डी.एफ.सी. साईज	300 पृष्ठ	
6	आवश्यकतानुसार प्रिंटेड रजिस्टर बाईडिंग सहित	फुल डी.एफ.सी. साईज	400 पृष्ठ	
7	सम्पति कर, समेकित कर, रसिद बुक (बुक क्र. व सरल क्र. सहित)	मल्टिकलर 1/6 डेमी 100 ग्राम पेपर में रसिद बुक नम्बर एवं सरल क्रमांक सहित	200 पृष्ठ	
8	प्रथम नोटशीट दोनो ओर प्रिन्टेड	1/4 डी.एफ.सी.	प्रति पृष्ठ	
9	द्वितीय नोटशीट दोनो ओर प्रिन्टेड	1/4 डी.एफ.सी.	प्रति पृष्ठ	
10	ठेकेदार देयक फार्म बिल फार्म	1/2 डी.एफ.सी.	प्रति पृष्ठ	
11	चरित्रावली फार्म	1/4 डी.एफ.सी.	प्रति पृष्ठ	
12	इकीमेट फार्म प्रति बुक	1/4 डी.एफ.सी. (3 प्रति में) पुस्तक क्र. व सरल क्र. सहित	300 पृष्ठ प्रति बुक	
13	नोटिस फार्म	1/4 डेमी	प्रति पृष्ठ	
14	टी.ए. बिल फार्म	1/2 डी.एफ.सी.	प्रति पृष्ठ	
15	पंचनामा फार्म	1/4 डी.एफ.सी.	प्रति पृष्ठ	
16	भवन निर्माण फार्म	1/4 डी.एफ.सी.	प्रति पृष्ठ	
17	निराश्रित पेंशन फार्म	1/4 डी.एफ.सी.	प्रति पृष्ठ	
18	आकस्मिक देयक फार्म	1/4 डी.एफ.सी.	प्रति पृष्ठ	

19	नल कनेक्शन फार्म	1/4 डी.एफ.सी.	प्रति पृष्ठ	
20	आवक-जावक रसीद बुक प्रति नग रंगीन में	1/16 डेमी साईज मल्टिकलर बुक क्र. सरल क्र. सहित	200 पृष्ठ प्रति बुक	
21	कर संग्रहक रसीद बुक रंगीन	1/16 डेमी साईज मल्टिकलर बुक क्र. सरल क्र. सहित	200 पृष्ठ प्रति बुक	
22	टेंडर फार्म पुस्तिका	1/4 डी.एफ.सी.	42 पृष्ठ प्रति बुक	
23	विविध रसीद बुक रंगीन में	1/16 डेमी साईज मल्टिकलर पुस्तक क्र. व सरल क्र. सहित	200 पृष्ठ प्रति बुक	
24	मनी वेल्थू रसीद बुक रंगीन, बाजार, साईकल स्टेण्ड व अन्य शुल्क रसीद बुक (राशि आवश्यकतानुसार)	1/8 डेमी बुक क्र. व सरल क्र. सहित	100 पृष्ठ प्रति बुक	
25	माप पुस्तिका (हार्ड बाईडिक सहित)	1/2 डी.एफ.सी. पृष्ठ क्रमांक सहित	100 पृष्ठ प्रति बुक	
26	माप पुस्तिका (हार्ड बाईडिक सहित)	1/2 डी.एफ.सी. पृष्ठ क्रमांक सहित	200 पृष्ठ प्रति बुक	
27	लेटर पैड प्रति बुक	ए 4 साईज	100 पृष्ठ प्रति बुक	
28	जलकर, सम्पति कर, उपभोक्ता कार्ड पास बुक	1/6 डेमी (कवर सहित)	20 पृष्ठ प्रति बुक	
29	स्टाक पंजी रजिस्टर	ए 4 साईज	100 पेज प्रति बुक	
30	आमदनी पंजी (कर विभाग)	ए 4 साईज	400 पेज प्रति बुक	
31	कम्प्युटर रसीद बुक	ए 4 साईज डबल ग्राफ में मल्टिकलर पुस्तक क्र. व सरल क्र. सहित	100 पृष्ठ प्रति बुक	
32	हटरी दुकान रसीद बुक	1/12 डेमी मल्टिकलर पुस्तक क्र. व सरल क्र. सहित	200 पृष्ठ प्रति बुक	
33	खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम	एफ.एस साईज दोनो ओर प्रिन्टेड	प्रति नग	
34	अभियाचन देयक	1/5 डेमी साईज पुस्तक क्र. व सरल क्र. सहित	200 पृष्ठ प्रति बुक	
35	पे बिल फार्म लेजर पेपर	1/2 डी.एफ.सी. साईज	प्रति नग	
36	परिवार कल्याण बुकलेट	1/4 डी.एफ.सी. साईज (कवर सहित)	24 पृष्ठ प्रति बुक	
37	पेंशन बुकलेट	1/4 डी.एफ.सी. साईज (कवर सहित)	48 पृष्ठ प्रति बुक	
38	सामान्य सुरक्षा पेंशन फार्म	1/4 डी.एफ.सी. साईज	प्रति पृष्ठ	
39	स्थापना पंजीयन फार्म	1/4 डी.एफ.सी. साईज	प्रति पृष्ठ	
40	नविन अंशदायी पेंशन योजना पंजी	1/4 डी.एफ.सी. साईज (कवर सहित)	50 पृष्ठ प्रति बुक	
41	लिफाफा प्रिटिंग	"9x4" कार्यालय का नाम मुद्रण सहित	प्रति नग	


42	लिफाफा प्रिटिंग	"10x4½" कार्यालय का नाम मुद्रण सहित	प्रति नग	
43	लिफाफा प्रिटिंग	"11x5" कार्यालय का नाम मुद्रण सहित	प्रति नग	
44	लिफाफा प्रिटिंग	ए 4 साईज कोटेड कार्यालय का नाम मुद्रण सहित	प्रति नग	
45	प्रारूप अनुसार फार्म छपाई	1/2 डी.एफ.सी. साईज	प्रति पृष्ठ	
46	प्रारूप अनुसार फार्म छपाई	1/4 डी.एफ.सी. साईज	प्रति पृष्ठ	
47	आमंत्रण कार्ड लिफाफा सहित	"8x5"	प्रति नग	
48	मल्टिकलर पाम्प्लेट / स्टिकरयुक्त	1/8 डेमी साईज	प्रति नग	
49	मल्टिकलर पाम्प्लेट / स्टिकरयुक्त	1/4 डेमी साईज	प्रति नग	
50	मल्टिकलर पाम्प्लेट / स्टिकरयुक्त	1/2 डेमी साईज	प्रति नग	
51	ब्लेक एण्ड वाईट पाम्प्लेट / स्टिकरयुक्त	1/8 डेमी साईज	प्रति नग	
52	ब्लेक एण्ड वाईट पाम्प्लेट / स्टिकरयुक्त	1/4 डेमी साईज	प्रति नग	
53	ब्लेक एण्ड वाईट पाम्प्लेट / स्टिकरयुक्त	1/2 डेमी साईज	प्रति नग	
54	संपत्ति कर विवरणी पत्रक	1/2 डेमी साईज दोनो ओर प्रिंटेड	प्रति नग	
55	स्पाईरल बाईंडिंग (प्रति 100 पृष्ठ)	ए 4 साईज	प्रति सेट	
56	स्पाईरल बाईंडिंग (प्रति 100 पृष्ठ)	ए 3 साईज	प्रति सेट	
57	स्पाईरल बाईंडिंग (प्रति 100 पृष्ठ)	एफ एस साईज	प्रति सेट	
58	हार्ड बाईंडिंग (प्रति 100 पृष्ठ)	ए 4 साईज	प्रति सेट	
59	हार्ड बाईंडिंग (प्रति 100 पृष्ठ)	ए 3 साईज	प्रति सेट	
60	हार्ड बाईंडिंग (प्रति 100 पृष्ठ)	एफ एस साईज	प्रति सेट	
61	रबर सील	प्रति लाईन दर		
62	सेल्फ इंक सील	प्रति लाईन दर		
63	प्री इंक सील	प्रति लाईन दर		
64	जेबरा कार्ड प्रिन्ट (कलर)	"2.4x3.5"	प्रति कार्ड	
65	पैड फाईल	साधारण	प्रति नग	
66	कव्हर फाईल रंगीन में	कार्यालय का नाम व विभाग का नाम मुद्रण सहित	प्रति नग	

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

// मुद्रलेखन कार्य क्रय वर्ष 2021-22 की निविदा शर्तें //

- निविदाकार को निर्माता/अधिकृत विक्रेता के पास जी.एस.टी. मे पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं पेन नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा की दरों में समस्त करों का समावेश (जी.एस.टी) होना चाहिए। पृथक से किसी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. गुमास्ता जीवीत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
4. उद्योग आधार जीवीत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
5. कार्यावधि के दौरान मुल्य वृद्धि (Price Escalation) की गणना किसी भी स्थिति में नहीं की जावेगी।
6. सामाग्री समय-समय पर आवश्यकतानुसार क्रय की जावेगी। प्रदाय आदेश जारी तिथि के 07 दिवस के भीतर सामाग्री प्रदाय किया जाना/निगम के अभिलेख शाखा में पहुँचाकर देना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को कम से कम 3 वर्ष का शासकीय कार्यनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।
8. निविदा आमंत्रण के साथ संलग्न सूची में दर्शायी गई समस्त सामग्रियों की दरों का प्रति इकाई अनुसार उल्लेख करना आवश्यक होगा।
9. निर्धारित समयावधि पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. अमानत राशि हेतु टी.डी.आर/एफ.डी.आर. ही मान्य होगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जावेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
11. प्रदाय सामग्री उचित गुणवत्ता एवं मापदण्ड के होने पर ही भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, गुणवत्ताविहीन सामाग्री प्रदाय किये जाने पर अमानत राशि राजसात करते हुये फर्म को प्रतिबंधित किया जावेगा।
12. निविदा में उल्लेखित दरों की वैधता दिनांक 31.03.2022 तक होगी। आवश्यकता होने पर दोनों पक्षों की सहमति से तिथि बढ़ाई जा सकती है।
13. निविदा स्वीकृत पश्चात् पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
14. आवेदन के साथ जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20/2020-21 का आयकर का सरल पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
15. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जायेगा।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

	सामग्री का नाम	आकार/संख्या	ब्रान्ड	मात्राप्रतिनग/पैकेट	
1	रजिस्टर एक दस्ता वाली	8x13	ओरियेंट पेपर	प्रति दर्जन	
2	रजिस्टर दो दस्ता वाली	8x13	ओरियेंट पेपर	प्रति दर्जन	
3	रजिस्टर तीन दस्ता वाली	8x13	ओरियेंट पेपर	प्रति दर्जन	
4	रजिस्टर चार दस्ता वाली	8x13	ओरियेंट पेपर	प्रति दर्जन	
5	फ्लैग		विविध	प्रति नग	
6	फैबीस्टीक			प्रति नग	
7	स्टाम्प पेड	मिडियम		प्रति दर्जन	
8	टेग कॉटन	8 इंच	सफेद सुपर	प्रति गुच्छी	
9	लिंक ताला	बडा		प्रति नग	
10	पेड फाईल			प्रति नग	
11	हाईलाईटर		कैमलिन	प्रति नग	
12	डाट पेन	साधारण		प्रति नग	
13	आई बाल पेन	साधारण		प्रति नग	
14	रबर बैंड	बडा साईज		प्रति किलो	
15	टी पिन	50 ग्राम		प्रति दर्जन	
16	स्टेप्लर पिन	नं. 10 पिन	कंगारू	प्रति पैकेट	
17	स्टेप्लर पिन	नं. 24/6 पिन	कंगारू	प्रति पैकेट	
18	स्टेप्लर	नं. 10 मशीन	कंगारू	प्रति नग	
19	स्टेप्लर	नं. 24/6 मशीन	कंगारू	प्रति नग	
20	कैची	बड़ी		प्रति नग	
21	लाक बुक			प्रति दर्जन	
22	स्टाम्प पैड इंक	छोटा		प्रति दर्जन	
23	डूप्लीकेट डायरी			प्रति दर्जन	
24	कापी क्राउन	180 पेज		प्रति दर्जन	
25	कापी क्राउन	280 पेज		प्रति दर्जन	
26	हाजरी रजिस्टर	200 पेज		प्रति नग	
27	स्टाम्प पेड	बड़ा	कोरस	प्रति नग	
28	गोंद	150 एमएल		प्रति नग	


29	काबन	एकतरफा	कोरस	प्रात पकट	
30	वाईटनर पैन			प्रति नग	
31	सेलो टेप	बडा		प्रति नग	
32	वाईट बोर्ड	(2/3)साईज		प्रति नग	
33	पोकर			प्रति नग	
34	कैलकुलेटर सिटीजन	12 डिजीट	सिटीजन	प्रति नग	
35	पेन ड्राइव	16 जी.बी.	एच.पी.	प्रति नग	
36	पेन ड्राइव	32 जी.बी.	एच.पी.	प्रति नग	
37	स्लीप पैड	विभिन्न साईज		प्रति नग	
38	ए-4 साईज पेपर	(लाल)	जे.के.	प्रति नग	
39	एफ-एस साईज पेपर	(लाल)	जे.के.	प्रति नग	
40	डस्ट बिन	छोटा (प्लास्टिक)		प्रति नग	
41	स्टील स्केल	एक फीट		प्रति नग	
42	प्लास्टीक स्केल	एक फीट		प्रति नग	
43	फोर फोल्ड फाईल			प्रति नग	
44	प्लास्टिक फोल्डर			प्रति दर्जन	
45	लाल कपड़ा रजिस्टर	100 / 200 / 300 / 400 पेज		प्रति नग	
46	टेबल टाप			प्रति नग	
47	कपड़ा बस्ता			प्रति नग	
48	स्टीक फाईल			प्रति नग	
49	कोबरा फाईल			प्रति दर्जन	
50	बाक्स फाईल			प्रति दर्जन	
51	पेन स्टैण्ड			प्रति नग	
52	कम्प्यूटर कार्ट्रेज	एच.पी.लेजर जेट के सभी माडल ,1020 / 1018 / प्रोउ एमएफपी एम1 136 / 126एनडब्लू / 1020 प्लस,ब्रदर dcp- b7500d		प्रति नग	
53	प्रिंटर कार्ट्रेज रिफिलिंग	एच.पी.लेजर जेट के सभी माडल ,1020 / 1018 / प्रोउ एमएफपी एम1 136 / 126एनडब्लू / 1020 प्लस,ब्रदर dcp- b7500d		प्रति नग	
54	कम्प्यूटर माउस	एच.पी. / डैल		प्रति नग	
55	कम्प्यूटर किबोर्ड	एच.पी. / डैल		प्रति नग	

आयुक्त
नगर प्रालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

// स्टेशनरी सामग्री क्रय वर्ष 2021-22 की निविदा शर्तें //

1. निविदाकार को निर्माता/अधिकृत विक्रेता के पास जी.एस.टी. मे पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं पेन नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा की दरों में समस्त करों का समावेश (जी.एस.टी) होना चाहिए। पृथक से किसी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. गुमास्ता जीवीत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
4. निविदादाता को कम से कम 3 वर्ष का शासकीय कार्यनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।
5. कार्यावधि के दौरान मुल्य वृद्धि (Price Escalation) की गणना किसी भी स्थिति में नहीं की जावेगी।
6. सामग्री समय-समय पर आवश्यकतानुसार क्रय की जावेगी। प्रदाय आदेश जारी तिथि के 07 दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय किया जाना/निगम के अभिलेख शाखा में पहुँचाकर देना अनिवार्य होगा।
7. निविदा आमंत्रण के साथ संलग्न सूची में दर्शायी गई समस्त सामग्रियों की दरों का प्रति इकाई अनुसार उल्लेख करना आवश्यक होगा।
8. निर्धारित समयावधि पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। स्थानिय प्रदायकर्ता/एजेंसी होना चाहिये।
9. अमानत राशि हेतु टी.डी.आर./एफ.डी.आर. ही मान्य होगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जावेगा।
10. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। तत्काल आवश्यकता होने पर मौखिक आदेश पर सामग्री मांगवाया जावेगा।
11. प्रदाय सामग्री उचित गुणवत्ता एवं मापदण्ड के होने पर ही भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, गुणवत्ताविहीन सामग्री प्रदाय किये जाने पर अमानत राशि राजसात करते हुये फर्म को प्रतिबंधित किया जावेगा।
12. निविदा में उल्लेखित दरों की वैधता दिनांक 31.03.2022 तक होगी। आवश्यकता होने पर दोनों पक्षों की सहमति से तिथि बढ़ाई जा सकती है।
13. आवेदन के साथ जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, वर्ष, 2018-19 एवं 2019-20 / 2020-21 का आयकर का सरल, जमा करना अनिवार्य होगा।
14. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जायेगा।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)


कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Phone No. : - 07762-222911, Fax No. : - 07762-222923

Email : - nraigarh@ymail.com, website - www.nagarnigamraigarh.com

॥ वर्ष 2021-22 हेतु निविदा फलेक्स/बैनर प्रिंटिंग कार्य की सूची ॥

क्र.	कार्य का नाम	विवरण	दर प्रति /
1	फलेक्स (इको फ्रेन्डली)	प्रति स्क्वायर फिट	
2	फलेक्स (सामान्य)	प्रति स्क्वायर फिट	
3	फलेक्स (कपड़ा)	प्रति स्क्वायर फिट	
4	फलेक्स विथ फ्रेम (इको फ्रेन्डली)	प्रति स्क्वायर फिट	
5	फलेक्स विथ फ्रेम (सामान्य)	प्रति स्क्वायर फिट	
6	फलेक्स विथ फ्रेम (कपड़ा)	प्रति स्क्वायर फिट	
7	विनायल प्रिंटिंग	प्रति स्क्वायर फिट	


18.02.21
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

// फलेक्स/बैनर प्रिंटिंग कार्य वर्ष 2021-22 की निविदा शर्तें //

1. निविदाकार को निर्माता/अधिकृत विक्रेता के पास जी.एस.टी. में पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं पेन नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा की दरों में समस्त करों का समावेश (जी.एस.टी) होना चाहिए। पृथक से किसी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. कार्यवाधी के दौरान मुल्य वृद्धि (Price Escalation) की गणना किसी भी स्थिति में नहीं की जावेगी।
4. निविदादाता को कम से कम 3 वर्ष का शासकीय कार्यनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।
5. गुमास्ता जीवीत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
6. सामग्री समय-समय पर आवश्यकतानुसार क्रय की जावेगी। कार्यालय में प्रिंटिंग सामग्री पहुंचाकर देना अनिवार्य होगा।
7. निविदा आमंत्रण के साथ संलग्न सूची में दर्शायी गई समस्त सामग्रियों की दरों का प्रति इकाई अनुसार उल्लेख करना आवश्यक होगा।
8. कार्यदेश में उल्लेखित सामग्री चिन्हांकित स्थान पर लगाया जाकर उसकी सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
9. निर्धारित समयावधि पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। तत्काल आवश्यकता होने पर मौखिक आदेश पर सामग्री मांगवाया जावेगा।
10. अमानत राशि हेतु टी.डी.आर./एफ.डी.आर. ही मान्य होगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जावेगा।
11. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। स्थानिय प्रदायकर्ता/एजेंसी होना चाहिये।
12. प्रदाय सामग्री उचित गुणवत्ता एवं मापदण्ड के होने पर ही भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, गुणवत्ताविहीन सामग्री प्रदाय किये जाने पर अमानत राशि राजसात करते हुये फर्म को प्रतिबंधित किया जावेगा।
13. निविदा में उल्लेखित दरों की वैधता दिनांक 31.03.2022 तक होगी। आवश्यकता होने पर दोनों पक्षों की सहमति से तिथि बढ़ाई जा सकती है।
14. निविदा स्वीकृत पश्चात् पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
15. आवेदन के साथ जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, वर्ष 2018-19 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर का सरल जमा करना अनिवार्य होगा
16. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जायेगा।


17.02.21

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)


कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Phone No. : - 07762-222911, Fax No. : - 07762-222923

Email : - nraigarh@ymail.com, website - www.nagarnigamraigarh.com

॥ वर्ष 2021-22 हेतु निविदा विडियोग्राफी कार्य की सूची ॥


क्र.	कार्य का नाम	विवरण	प्रति घंटा/प्रति नग प्रिंट आउट
1	स्टिल विडियोग्राफी	प्रति घंटा	
2	विडियोग्राफी	प्रति घंटा	


17.02.21
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

// विडियोग्राफी वर्ष 2021-22 की निविदा शर्तें //

1. निविदाकार के पास जी.एस.टी. में पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं पैन नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा की दरों में समस्त करों का समावेश (जी.एस.टी.) होना चाहिए। पृथक से किसी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. कार्यावधि के दौरान मूल्य वृद्धि (Price Escalation) की गणना किसी भी स्थिति में नहीं की जावेगी।
4. गुमास्ता जीवीत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
5. विडियोग्राफी कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार करवायी जावेगी। प्रदाय आदेश मौखिक अथवा लिखित जारी किया जावेगा प्रिटर सामग्री अभिलेख शाखा में पहुँचाकर देना अनिवार्य होगा।
6. निर्धारित समयावधि पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। तत्काल आवश्यकता होने पर मौखिक आदेश पर कार्य करने हेतु कहा जावेगा।
7. विविदादाता को कम से कम 3 वर्ष का शासकीय कार्यनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।
8. अमानत राशि हेतु टी.डी.आर./एफ.डी.आर. ही मान्य होगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जावेगा।
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। स्थानिय प्रदायकर्ता/एजेंसी होना चाहिये।
10. प्रदाय सामग्री उचित गुणवत्ता एवं मापदण्ड के होने पर ही भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, गुणवत्ताविहीन सामग्री प्रदाय किये जाने पर अमानत राशि राजसात करते हुये फर्म को प्रतिबंधित किया जावेगा।
11. निविदा में उल्लेखित दरों की वैधता दिनांक 31.03.2022 तक होगी। आवश्यकता होने पर दोनों पक्षों की सहमति से तिथि बढ़ाई जा सकती है।
12. आवेदन के साथ जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, वर्ष, 2018-19 एवं 2019-20 / 2020-21 का आयकर का सरल, जमा करना अनिवार्य होगा।
13. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जायेगा।


17.02.21
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Phone No. : - 07762-222911, Fax No. : - 07762-222923

Email : - nraigarh@ymail.com, website - www.nagarnigamraigarh.com

॥ वर्ष 2021-22 हेतु निविदा अनुसार भोजन/नाश्ता/चाय/पानी बॉटल कार्य की सूची ॥

क्र.	सामाग्री का विवरण	खाद्य सामाग्री का विवरण प्रति थाली/प्रति प्लेट नाश्ता/पानी बॉटल/चाय	प्रति थाली/पैकेट/नग	प्रस्तुत दर प्रति नग/प्रति सेट
1	स्पेशल थाली	जिरा राईस, दाल, हरी सब्जी, पनीर सब्जी, रायता, पापड़, चार रोटी घी युक्त, आचार, सलाद, एक पिस मीठा (छेना)	प्रति थाली पैकिंग सहित	
2	सामान्य थाली	प्लेन राईस, दाल, हरी सब्जी, तीन रोटी, आचार, सलाद	प्रति थाली पैकिंग सहित	
3	बफे थाली	जिरा राईस, दाल, हरी सब्जी, पनीर सब्जी, रायता, पापड़, चार रोटी घी युक्त, आचार, सलाद, एक पिस मीठा (छेना)	प्रति थाली	
4	नाश्ता	एक मीठा (छेना), दो पिस (कटलेट/समोसा/आलू बड़ा/बड़ा) एक नग टोमेटो सौस पाउच (कुल चार नग)	प्रति नाश्ता पैकिंग सहित	
5	नाश्ता/कुकीस	बिसकिट विभिन्न प्रकार कुकीस/चिप्स/ड्रायफ्रुट	प्रति नग पैकिंग सहित	
6	चाय/काफी	100 एम. एल (पेपर डिस्पोजल कप सहित)	प्रति कप मात्रा अनुसार	
7	पानी बॉटल	250 एम. एल (आई.एस.आई मार्क अनिवार्य, बिसलेरि, किन्ले)	प्रति बॉटल	
8	पानी बॉटल	1000 एम. एल (आई.एस.आई मार्क अनिवार्य बिसलेरि, किन्ले)	प्रति बॉटल	


 17.02.21

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

// भोजन/नाश्ता/चाय/पानी बॉटल प्रदाय वर्ष 2021-22 की निविदा शर्तें //

1. निविदाकार को निर्माता/अधिकृत विक्रेता के पास जी.एस.टी. मे पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं पैन नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा की दरों में समस्त करों का समावेश (जी.एस.टी) होना चाहिए। पृथक से किसी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. कार्यावधी के दौरान मुल्य वृद्धि (Price Escalation) की गणना किसी भी स्थिति में नहीं की जावेगी।
4. सामाग्री समय-समय पर आवश्यकतानुसार क्रय की जावेगी। प्रदाय आदेश मे दी गई दिनांक एवं समय पर भोजन/नाश्ता/चाय/पानी बॉटल प्रदाय आवश्यकतानुसार सामाग्री प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा एवं कार्यालय नगर निगम में सामाग्री पहुचाकर देना अनिवार्य होगा।
5. निविदा आमंत्रण के साथ संलग्न सूची में दर्शायी गई समस्त सामग्रियों की दरों का प्रति इकाई अनुसार उल्लेख करना आवश्यक होगा।
6. निर्धारित समयावधि पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। स्थानिय प्रदायकर्ता/एजेंसी होना चाहिये।
7. अमानत राशि हेतु टी.डी.आर/एफ.डी.आर. की मान्य होगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जावेगा।
8. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्रदाय आदेश मौखिक अथवा लिखित जारी किया जावेगा।
9. प्रदाय सामग्री उचित गुणवत्ता एवं मापदण्ड के होने पर ही भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, गुणवत्ताविहीन सामाग्री प्रदाय किये जाने पर अमानत राशि राजसात करते हुये फर्म को प्रतिबंधित किया जावेगा।
10. निविदा में उल्लेखित दरों की वैधता दिनांक 31.03.2022 तक होगी। आवश्यकता होने पर दोनों पक्षों की सहमति से तिथि बढ़ाई जा सकती है।
11. निविदा स्वीकृत पश्चात् पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
12. आवेदन के साथ जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20/2020-21 का आयकर का सरल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
13. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जायेगा।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Phone No. : - 07762-222911, Fax No. : - 07762-222923

Email : - nraigarh@ymail.com, website - www.nagarnigamraigarh.com

॥ वर्ष 2021-22 हेतु निविदा अनुसार फोटोकॉपी कार्य की सूची ॥

क्र.	फोटोकॉपी पेपर साईज का विवरण	फोटो कॉपी का प्रकार/ब्लेक एण्ड वाइट, कलर,	मात्रा प्रति पृष्ठ एक तरफ	प्रस्तुत दर प्रति पृष्ठ
1	ए-4 साईज	ब्लेक एण्ड वाइट फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
2	एफ.एस साईज	ब्लेक एण्ड वाइट फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
3	ए-3 साईज	ब्लेक एण्ड वाइट फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
4	ए-2 साईज	ब्लेक एण्ड वाइट फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
5	ए-1 साईज	ब्लेक एण्ड वाइट फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
6	ए-0 साईज	ब्लेक एण्ड वाइट फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
7	ए-0 + साईज	ब्लेक एण्ड वाइट फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
8	ए-4 साईज	कलर फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
9	एफ.एस साईज	कलर फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
10	ए-3 साईज	कलर फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
11	ए-2 साईज	कलर फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
12	ए-1 साईज	कलर फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
13	ए-0 साईज	कलर फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
14	ए-0 + साईज	कलर फोटो कॉपी	प्रति पृष्ठ	
15	ए-4 साईज	स्केनिंग	प्रति पृष्ठ	
16	एफ.एस साईज	स्केनिंग	प्रति पृष्ठ	
17	ए-3 साईज	स्केनिंग	प्रति पृष्ठ	
18	ए-2 साईज	स्केनिंग	प्रति पृष्ठ	
19	ए-1 साईज	स्केनिंग	प्रति पृष्ठ	
20	ए-0 साईज	स्केनिंग	प्रति पृष्ठ	
21	ए-0 + साईज	स्केनिंग	प्रति पृष्ठ	
22	ए-4 साईज	कलर प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
23	एफ.एस साईज	कलर प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
24	ए-3 साईज	कलर प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
25	ए-2 साईज	कलर प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
26	ए-1 साईज	कलर प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
27	ए-0 साईज	कलर प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
28	ए-0 + साईज	कलर प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
29	ए-4 साईज	ब्लेक एण्ड वाइट प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
30	एफ.एस साईज	ब्लेक एण्ड वाइट प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
31	ए-3 साईज	ब्लेक एण्ड वाइट प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
32	ए-2 साईज	ब्लेक एण्ड वाइट प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
33	ए-1 साईज	ब्लेक एण्ड वाइट प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
34	ए-0 साईज	ब्लेक एण्ड वाइट प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
35	ए-0 + साईज	ब्लेक एण्ड वाइट प्रिंट आउट	प्रति पृष्ठ	
36	ए-4 साईज	ब्लू प्रिंट	प्रति पृष्ठ	
37	एफ.एस साईज	ब्लू प्रिंट	प्रति पृष्ठ	
38	ए-3 साईज	ब्लू प्रिंट	प्रति पृष्ठ	

39	ए-2 साईज	ब्लू प्रिंट	प्रति पृष्ठ	
40	ए-1 साईज	ब्लू प्रिंट	प्रति पृष्ठ	
41	ए-0 साईज	ब्लू प्रिंट	प्रति पृष्ठ	
42	ए-0 + साईज	ब्लू प्रिंट	प्रति पृष्ठ	
43	ए-4 साईज	फोटो कलर प्रिन्ट	प्रति पृष्ठ	
44	ए-3 साईज	फोटो कलर प्रिन्ट	प्रति पृष्ठ	


 12.02.21

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

// फोटोकापी कार्य वर्ष 2021-22 की निविदा शर्तें //

1. निविदाकार को निर्माता/अधिकृत विक्रेता के पास जी.एस.टी. में पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं पेन नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. गुमास्ता जीवीत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
3. निविदा की दरों में समस्त करों का समावेश (जी.एस.टी.) होना चाहिए। पृथक से किसी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा। गुमास्ता जीवीत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
4. निविदादाता को कम से कम 3 वर्ष का शासकीय कार्यनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।
5. कार्यावधि के दौरान मुल्य वृद्धि की गणना किसी भी स्थिति में नहीं की जावेगी।
6. कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल द्वारा ही हस्ताक्षरित कार्य प्रति मान्य होगी एवं दिये गये निर्देशानुसार कार्य करना अनिवार्य होगा एवं अन्य किसी कर्मचारी के द्वारा दी गयी एवं प्रमाणित की गई प्रति का भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. निविदा आमंत्रण के साथ संलग्न सूची में दर्शायी गई समस्त सामग्रियों की दरों का प्रति इकाई अनुसार उल्लेख करना आवश्यक होगा।
8. निर्धारित समयावधि पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। स्थानिय प्रदायकर्ता/एजेंसी होना चाहिये।
9. अमानत राशि हेतु टी.डी.आर./एफ.डी.आर. की मान्य होगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जावेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. निविदा में उल्लेखित दरों की वैधता दिनांक 31.03.2022 तक होगी। आवश्यकता होने पर दोनों पक्षों की सहमति से तिथि बढ़ाई जा सकती है।
11. निविदा स्वीकृत पश्चात् पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। प्रदाय आदेश मौखिक अथवा लिखित जारी किया जावेगा।
12. आवेदन के साथ जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर का सरल, जमा करना अनिवार्य होगा।
13. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जायेगा।


17.02.21
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

4. Date of tender

FORM 'C'

5. Name of contractor

6. R/ No. TENDER AND CONTRACT FOR SUPPLY OF MATERIALS

GENERAL RULES AND DIRECTIONS FOR THE GUIDANCE OF CONTRACTORS

1. All supplies proposed to be obtained by contractor will be notified in a form of Invitation to tender posted in public places and signed by the Chief Municipal Officer.

The form will state the supplies to be made, as well as the date for submitting and opening tenders and the time allowed for, carrying out the work. also the amount of the earnest money to be deposited with the tender and the amount of the security deposited to be deposited by the successful tender and the percentage, if any to be deducted. form bills. It will also state whether a refund of quarry fees, royalties, octroi duties and ground rents will granted. Copies of specification and any other documents required in connection with work, signed for the purpose of the Chief Municipal Officer during office hours.

2. In the event of the tender being submitted by a firm it must signed separately by each member thereof or in the event of the absence of any partner, it must be signed on his behalf by a person holding a power of attorney authorizing him to do so such power of attorney should be produced with the tender and it must disclose that the firm is duly registered under the Indian Partnership Act.

3. Any person who submits tender shall fill up the usual printed form stating at what rate he is willing to undertake each item of the work. Tenderer who propose any alteration in the work. specified in the said form of invitation to tender or in the time allowed for carrying out the work or which contain any other conditions of any sort will be liable to rejection. No tender shall include more than one work but contractors who wish to tender for two or more works shall submit a separate tender for. Each. Tenderer shall have to write the name and number of the work to which they refer written outside the envelope.

4. The Chief Municipal Officer, or his duly authorized assistant will open tenders in the presence of any intending contractor who may be present at the time and will enter amount of the several tender in a comparative statement in a suitable form. Receipts for earnest money will be given to the all tenderer whose tenders are accepted and whose tender is rejected earnest money is refundable on the day the tenders are opened.

5. The Chief Municipal Officer, Competent to dispose of the tenders shall have the right of rejecting all or any of the tenders.

6. The receipt of a clerk for any money paid by the contractor will not be considered as any acknowledgment of payment by the chief Municipal Officer and the contractor shall be responsible procuring a receipt signed by the chief Municipal Officer or any other person duly authorized by him.

TENDER FOR THE SUPPLY OF MATERIALS

I/we hereby tender for the supply for the Government of Chhattisgarh of the materials, described the under mentioned memorandum according to the specification within the time specified and at percent below/above the rates column No. 14 below subject to the conditions annexed :-

Security deposit (including earnest money) Rs.

Percentage if any to be deducted from bill Rs.

in (words)

Earnest Money Rs. Security Deposit (including money) Rs. Rs. Percentage if any to be deducted from bills Rs. (in words) Percent.

No. of Road	No. of Km.	Description on specification of materials to be supplied	Total-Qnty of each to be supplied	Place at Which to be delivered	Quantity delivered at All place	Date by which delivery at all place must be completed	Cost as per R.C.R.L.	
							Coll of Material	Blasting etc. to here necessary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Stacking	Average Lead involved for the R.M.		Total Rate for K.M.	Unit	Total cost each article including of delivery at site		Remarks	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

This Percentage where no security deposit is taken will be %

should the tender accepted I/we hereby agree to fulfill the above specification and other conditions of contract annexed here to default there of to forfeit and pay to the Government of Chhattisgarh or his successors the penalties sums of money mentioned in the conditions.

The sum of Rs. in currency notes is here with forwarded as earnest money the full value of which is to absolutely to the said Governor of his successors without prejudice in any other rights or remedies of said Governor or his successors should I/we fail to commence supply of the materials specified in above memorandum or (a) should I/we not deposit the full amount of security in accordance with clause 1 (A) of the conditions of contract otherwise the said sum of Rs. Shall be retained by Government on account of the security deposit in clause : B. of the said conditions of Contract.

Signature of Witness to Signature of Tenderer Signature
Address Address
Date the 20 Date the 20

The above tender is hereby accepted by me on behalf of the Government of Chhattisgarh.

Dated 20

Signature of the Officer by
Whom the tender is accepted.

CONDITIONS OF CONTRACT

Clause I. The person/persons whose tender may be accepted (hereinafter called the contractor which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, include his excutors, administrators, representative and assigns), shall (A) (within one day for a contract of Rs. 1000 or less two days for one of Rs. 2000 of less and so on, up to a limit of the days of the notification of the acceptance of his tender deposit with the Chief Municipal Officer (in cash or Government securities endorsed in the name of Chief Municipal Officer (if deposited for more than 12 months a sum sufficient with the amount of the earnest money deposited by him with his tender to make up the full security deposit specified in the tender on (B) present Government at the time making any payment to him for work done under the contract to deduct such as will (with the earnest money deposited by him) amount to percent of all moneys so payable, such deductions to be held by Government by way security deposit provided always that in the event of contractor depositing a lumpsum by way of security as contemplated at (A) above, then and in such case if the sum so deposited shall not amount to percent of the total estimated cost of the work it shall be lawful for Government at the time of making any payment to the contractor for work done under the contract to make up the full percentage of Percent by deducting a sufficient sum from every such payment as last aforesaid. All compensation or other sums of money payable by the contractor to Government under the terms of his contract may be deducted from or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising there from or any sums which may be due may become due to the contractor by Government on any account whatsoever and in the event of his security deposit being reduced by reason of any such deduction or sale aforesaid the contractor shall within ten days thereafter make good in case Government securities encomed as a aforesaid any sum which may have been deducted form or raised by sale of his security deposit or any part thereafter the security deposit referred to when paid in case may at the cost of the depositor be converted into interest into interest bearing securities provided that the depositor has expressed desired this in writing.

1. The time allowed for the supply of materials as entered in the tender shall strictly observed by the contractor and shall be recorded from the date on which the commence supply of materials is given to the contractor. The supply of materials shall throughout the stipulated period of the contract be proceeded with, all the dilingnce (time being deemed to be of the assence of the contractor) and the contractor shall pay as liquidated damages an amount of equal to one one percent or such smaller amount as the Chief Municipal Officer may decide on the amount of estimated cost of the whole of the materials as shown in tender for every day that supply remains uncommenced or unfinished after the proper dates. And further to ensure good progress during the supply of materials the contractor shall be bound in all cases in which the time allowed for any supply of material exceeds one month to complete one fourth of the whole of the supply befor one fourth of the whole time allowed under the contract has ceased one half of the supply before event of the contractor failing to complete with this conditions shall be liable to pay as liquidated damage an amount equal to one percent of such after, amount as the Chief Municipal Officer may decide on the said estimated cost of the materials or every day that the due quantity of supply temains incomplete provided always that the entire amount of liquidated damages to be paid under the provision of this clause shall not exceed ten percent on the estimated cost supply of materials as shown in the tender.

- : Strike out (A) if on each security. is to be taken Strike out (b) if any security deposit is taken.
- : Strike out (A) or (B) as the case may be.
- : This will be the same percentage as that in the tender.

The amount will be the same percentage (not exceeding two percent) will be fixed in every case to suit requirement e. g. it is fixed as 1 percent and the security deposit only amount to 6 percent of the estimated cost if work than 3 percent should be deducted from every payment if the percentage is fixed at 10 percent and the security deposit

consecutive day, Chief Municipal Officer shall have power either to annul the contract altogether or have the supply completed without notice at the contractor's risk expense, as he may be suited interest of Government and the contractor shall have no claim to compensation for loss that he may incur in any way.

4. If the contractor shall be hindered in the materials so as to necessitate an extension of the time allowed in this tender, he shall apply in writing to the Chief municipal Officer who shall if in his opinion (which shall be final) reasonable grounds be shown therfor, authorize such extension for a period not exceeding three months, any further extension shall be subject to the pervious Sanction of the S.E. of the Engineering Cell of the Directorate of Local Bodies.

5. The contractor shall have give notice to the Chief minicipal Office (hereinafter called the Engineer-in-charge) of his intension of making delivery of materials and on the materials being approved, a receipt shall be granted to him by the chief municipal Officer or his assistant and no material will be considered as delivered until so approved.

6. The Engineer-in-Charge shall have power to make any alterations or omissions from additions to or substitution for the supply materials as specified in the tender, which may appear to him to be necessary during the progress of the supply and the contractor shall be bound to carry out supply in accordance such instructions as may be given to writing signed by the Engineer-in-Charge and such alteration, omission, additions or substitutions shall not invalidate the contractor, and any additional, altered or substituted supply which the contractor may be directed to make as he before provided as part of the supply under his contract shall be carried in the contractor on the same conditions in all respects as are herein contained and at the same rates as or specified in the tender. The time for the completion of the supply shall be extended to that the proportions that the altered, additional or substituted supply bears to the original supply contracted for and certificate of the Engineer-in-Charge shall be conclusive as to such proportion and if the altered, additional or substitute supply includes any loss of supply for which no rate is specified in this contract than such class of supply shall carried out at rate district which was no force at the contrived, provided that which the tender for the original supply is a percentage below/above at the said schedule or rates the altered, additional or substituted or supply required shall be chargeable at the said schwdule or rate minus/plus the same percentage deduction/addition/and such class of supply in form the Engineer-in-charge of the rate which it is intention to chrg for such class of supply and if the Engineer-in-Charge does not agree to this rate, he shall be notice in writing at liberty to cancel his order to out such class of supply and arrange to carry it out in such manner as he may consider adversely, provided always that if the contractor shall commences supply incur any expenditure in regard there to befor the rates shall have been determine as lastly nerervind a gaslly here in befor mentioned of than and cancel in such cash he shall only be entitid to be paid in respect of the supply carried out or expenditue by him autor to the date the detrmation rate as aforesaid according to such rate or rates as shall be fixed by the Engineer-in-Charge, in the event of a dispute the deduction of the S.E. of the Local Bodies shall be final.

7. If at any time after execution of the contract documents the Engineer-in-Charge shall for any reason whatsoever require the whole or past of the supply as specified in the tender to be stopped for any period or shall not require the whole or part of the supply to be carried out he shall give notice in writing of the fact to the contractor who shall there upon suspend or stop the totally not partially as the case may be in any such case any payment or compensation whatsoever on account of any profit, or advantage which he might have derived from the axecution or the supply infull but which he did not so derive consequences of the full supply not having been allowed for be carried out or on account of any that he may be put to account of materials purchased to be purchased or for the payment of labour required by him he shall not also have any claim for compensation by reason of any alterations having made in the original specification, location of work, question and instructions which may in novel any curtailment of supply as Orin ally content lated. when however materials have already been purchased or greed to purchased by contractor before receipt by him of the said notice, the contractor shall be paid for such materials at the rates determined by the Engineer-in-Charge provided they are be put to in respect of materials agree to be purchased by him the amount of such compensation to be determind by the Engineer-in-Charge whose decision shall be final. If the stoppage supply of has been ordered under this clause, the contractor shall on application, be entitid to such compensation on account of labour as the Engineer-in-Charge whose decision shall be finally may consider reasonable provided that the contractor shall not be entitid or any compensation on account of labbour court have been employed by the contractor elsewhere for the period during the stoppage of supply has been ordered as foresaid.

8. On the completion of the delivery of the materials the contractor shall be furnished with a certificate to that effect by the Engineer-in-Charge, but the deliver will not considered complete until the contractor shall have removed all rejected materials and shall have the approved materials stocked or apaced in such position as may be pointed out to him.

9. Payment will ordinarily be made once a month to the extent or the quantity delivered each month but all such pay made shall be considered as payment on account be final bill for the complete supply.

10. The materials shall be of the best description and in strict accordance with specification and the contractor shall payment for such materials only as are approved and passed by the Engineer-in-Charge.

11. In the event of the materials being considered by the Engineer-in-Charge to be inferior to that described in the specification, the contractor shall on demand in writing forthwith remove the same at the own expense and cost and in the event of his neglecting to do so within same period as may be ordered by the Engineer-in-Charge the officer may have such rejected materials removed at the contractor's risk and expense incurred being liable to be deducted from any sum due or which may become due to the contractor.
12. Receipt for payment on account at a work, when executed by firm must also be signed by several partner except where the contractors are described in the tender as a firm, in which case the receipt must be signed in the name of the firm by or of the partners or by some person having authority to give official receipts.
13. If the contractor or his work people or servants shall break, deface, injure or destroy any part of a building in which they may be working or any building, road, fence, enclosure, water pipes, cables, electric or telephone posts or wires, trees, grass or grassland or cultivated ground the contractor shall make the same good at his own expense or in default the engineer-in-Charge may cause to make good by other workman and deduct the expense (of which certificate of the Engineer-in-Charge shall be final) from any sum that may be due at time thereafter may become due to the contractor or from his security deposit or the proceeds of sales thereof of sufficient portion thereof.
14. under no circumstance whatever shall the contractor be entitled to any compensation from Government on any account unless shall have submitted a claim in writing to the Engineer-in-Charge within one month of the date of such claim occurring.
15. In every case in which by virtue of the provision of section 12, Sub section (1) of the workmen's compensation Act 1928 Government are obliged to pay compensation to workman employee by the contractor in execution of the work. Government will recover from the contractor the amount of the compensation so paid and without prejudice to the right of Government under Section 12, section (2) of the said Act. Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this contract Government shall not be bound to compensate any claim made against them under Section 12, Sub section (1) of the said Act except on the written request of the contractor and upon his going to Government full security for all for cost for which Government might become liable in consequences of contesting such claim.
16. The contractor shall supply at his own expense tools, plant and implements required for the fulfillment of his contract and materials shall remain at his till the date for final unless it shall have been in the meantime removed for use by the Engineer-in-Charge.
17. No materials shall be brought site or delivered on Sunday without the written permission of the Engineer-in-Charge.
18. The contractor must not be sublet without the written permission of the Chief Municipal Officer in the event of the contractor subletting his contract without such permission, he shall be considered to have committed a breach of contract shall forfeit his security deposit and have no claim for any compensation for any loss that may occur from the materials he may have collected or engagement entered into.
19. The decision of the Superintending Engineer of the Engineering cell of the Directorate of Local Bodies for the time being shall be final, conclusive and binding on all the contractor upon all question relating to the meaning of specification hereinbefore mentioned and as to the quality of materials or as to any other questions claim right matter or thing whatsoever in any way arising out of relating to the contract specification instructions, orders of these conditions or amendment thereof.
20. On the breach of any or condition of this contract by the contractor the said Governor shall be entitled or forfeit the security deposit or the balance thereof that may at that time be remaining and to realize and retain the same as damages and compensation for the said breach but without prejudice to the right of the said Governor to recover any further sum as damages from any sums due or which may become due contractor by the Government or otherwise whatsoever.
21. If Government declare a state of scarcity or this famine to exist in any village situated within 10 miles of the work the contractor shall employ upon parts of the work as are suitable for unskilled labour any person certified to him by the Chief Municipal Officer or any person to whom the Chief Municipal Officer may have delegated this in writing to be in need of relief and shall be bound to pay such persons wages not below the minimum mentioned in this clause shall be by the Government whose decision shall be final binding in the contractor.
22. All quarry fees, royalties, control duties and ground for stacking materials, if any should be paid by the contractor.